राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(19)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः– 25 AUG 2021

आयुक्त/सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।
आयुक्त/सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

अध्यक्ष/सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा,
उदयपुर, श्रीगंगानगर, आबू (सिरोही),
चित्तौडगढ़, जैसलमेर, बाडमेर, सीकर,
पाली, सवाईमाधोपुर।

विषय :– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 02 अक्टूबर, 2021 से 31.03.2022 तक राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत निकाय स्तर पर दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक तैयारी शिविरों (Preparatory Camps) का आयोजन किया जाना है। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2022 से अभियान के फॉलो–अप कैम्पों का आयोजन किया जाना है।

अतः उक्त अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरान कृपया निम्नानुसार व्यवस्थाएं समय पर कराया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. शिविर का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक होगा।
2. शिविर में बिजली, पानी एवं छायां की समुचित व्यवस्था।
3. शिविर में सभी संबंधित विभागों के स्टाफ एंवं आम नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था।
4. शिविर में आम जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय हेतु माईक आदि की व्यवस्था।
5. सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की व्यवस्था।
6. निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण डिस्प्ले किए जाने की व्यवस्था।
7. अभियान के दौरान विभिन्न रंगों में पट्टा जारी किए जाने हेतु कलर प्रिन्टर की व्यवस्था (निकाय में उपलब्ध नहीं होने पर आउट–सोर्स से व्यवस्था की जा सकती है।)
8. फोटो–कॉपी मशीन की व्यवस्था।
9. ई–मित्र, नगर–मित्र के लिए व्यवस्था।
10. जोनल–प्लान, ले–आउट प्लान/अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के डिस्प्ले की समुचित व्यवस्था।
11. प्रकरणों के ऑनलाईन निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं।
12. जनता की सुविधा के लिए वार्ड–वाईज या कुछ वार्डों को मिलाकर शिविर आयोजित किए जाने की व्यवस्था।

Scanned with CamScanner

13. शिविर में राशि जमा करने हेतु व्यवस्था।
14. सडक, रोड–लाईट, नालियां आदि आदि समस्या के मौके पर ही समाधान हेतु समुचित व्यवस्था।
15. डीड–राईटर, स्टाम्प वेण्डर, नोटरी, ऑथ कमिश्नर की व्यवस्था।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं कोविड–19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए क़ी जावें।

भवदीय,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner